सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर

—00—

क्रमांक 3110 /जी—1721/2011/1—सूअप्र रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

22 SEP 2012

विषय :— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व—सक्रिय प्रकटीकरण ।**

संदर्भ :— इस विभाग का पत्र कमांक एफ 7—6/2005/1/6, दिनांक 16.09.2005, दिनांक 07.11.2005 एवं 18.11.2011

—000—

इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल पीडीएफ फारमेट में तैयार करके शासन की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये है, ताकि शासन के समस्त कार्यालयों द्वारा जारी नियम/निर्देशों की जानकारी/सूचना सीधे आम जनता/पणधारियों (Stakeholders) को स्व—सक्रिय प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) के रूप में प्राप्त हो सके ।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—4 (1) (क) (ख) में निहित प्रावधान अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग/लोक प्राधिकरण कम्प्यूट्रीकृत कर इंटरनेट पर अपने विभागों की वेबसाईट में प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन भी करेगा । इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन कमांक 12/192/2009—आई.आर., दिनांक 20.01.2010 एवं पत्र कमांक 13/8/2012 —आई.आर., दिनांक 28.08.2012 की छायाप्रति संलग्न है ।

3/ प्रायः देखा गया है कि राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों को लागू कराने हेतु उपर्युक्त संदर्भित निर्देशों का पालन विभागों द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित नही किया जा रहा है ।

निरंतर. 2

4/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित परिपत्रों में दिए गए निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (क) (ख) में निहित प्रावधान एवं भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापनों में दिए गए निर्देशों के तहत रिकार्डो/दस्तावेजों का रख–रखाव/जानकारी का इंटरनेट स्व–सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराते हुए विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें इस संबंध में जनहित याचिका कमांक 35/2012 राजकुमार मिश्रा विरूद्ध मुख्य राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर की गई है । अतः इसे विशेष प्राथमिकता देते हुए विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराई गई अद्यतन जानकारी की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(आर.सी.सिन्हा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

पृ0 क्रमांक 3111/जी–1721/2011/1–सूअप्र

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक स. 12/192/2009–आई.आर., दिनांक 20.01.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर ।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर ।
4. समस्त संभागायुक्त ।
5. समस्त कलेक्टर ।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग. शासन, प्रशासन अकादमी,इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर ।
8. स्टॉक पंजी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सं. 12/192/2009-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 20 जनवरी, 2010.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप रिकॉर्डों का रखरखाव ।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक मामले में कहा है कि रिकॉर्डों के सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव के अभाव में लोक सूचना अधिकारी अधूरी और भ्रामक सूचना दे देते हैं । ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोक प्राधिकरण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) का पालन नहीं करते । अधिनियम के इस प्रावधान में प्रत्येक लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने रिकॉर्डों को विधिवत् सूचीबद्ध करें और वे इनकी ऐसे रूप में निर्देशिका (इंडेक्स) बनाएं कि सूचना का अधिकार सुकर बने । आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी त्रुटि के लिए सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को, शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड सकता है । स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 19(8)(ख) आयोग को सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों से शिकायतकर्ता को किसी नुकसान अथवा अन्य क्षति की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति प्रदान करती है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की सफलता के लिए रिकॉर्डों का उचित रखरखाव महत्वपूर्ण है किन्तु इस विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद बहुत-से लोक प्राधिकरणों ने इस विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया है । मुझे, सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि वे अपने अधीन सभी लोक प्राधिकरणों को अविलंब अधिनियम की धारा 4 की अपेक्षाओं का और खास तौर से धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) का पालन करने का निदेश दें ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158.

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को ।

24.08.2012

Court- Case
Immediate

No. 3036 /CS/2012/GOI
Date 29/08/12

No. 13/8/2012-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pension
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated 28.08.2012.

To,

The Chief Secretary
Govt. of Chhattisgarh,
D.K.S. Bhawan,
Mantralay,
Raipur
Fax no 0771-222 1206

Subject: WP (PIL) No.35 /2012 in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur; Raj Kumar Mishra vs. UOI (as respondent no. 3) & Ors.

30 AUG 2012

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the above quoted PIL and to say that this Department vide its OM dated 20.01.2010 have already issued instructions to all Ministries/Department etc. to direct all public authorities under them for strict compliance of the provisions mandated under section 4 of the RTI Act, 2005. Further, it was decided to set up a Task Force to review the provisions regarding *suo moto* disclosure given in Section 4 of the RTI Act, 2005 and submit its report after consultations with other Ministries, State Governments, CIC, SICs and also with other NGOs to recommend measure for its better implementation and enforcement. A note for consideration by Committee of Secretaries (CoS) has been sent to Cabinet on 10th July, 2012. The meeting of CoS is to be held on 14.09.2012.

2. It is therefore, requested that the State Government may defend the case and also protects the interests of UOI. This Department may be kept informed of the development in the case.

Encl: As above.

29 AUG 2012

Yours sincerely,

(R.K. Girdhar)
Under Secretary to the Govt. of India
Telefax: 23093022

Copy to:

The Deputy Registrar, High Court of Chhattisgarh at Bilaspur w.r.t. Notice dated 04.08.2012 for information. [Kind Attention - Sh. Brajesh Mishra, Deputy Registrar]
Fax no. 077-52-22 6030.